न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 064/2018

सुबान खां पुत्र दाउद खां गोदपुत्र उमर खां
जाति सिन्धी मुसलमान, निवासी चौकीन की ढाणी बोयल
तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब ना म

1. नैनी पुत्री उमर खां पत्नी अयुब खां सिन्धी मुसलमान
   निवासी कमेडीयों की ढापणी, बोयल
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
2. मुमा उर्फ मुमल पत्नी उमर खां सिन्धी मुसलमान
   निवासी चौकीन की ढाणी, बोयल
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
3. लाडा पुत्र उमर खां पत्नी इब्राहिम खां सिन्धी मुसलमान
   निवासी सिन्धियों का बास, पीपाडशहर
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
4. सईदा पुत्री उमर खां पत्नी हुसैन खां सिन्धी मुसलमान
   निवासी शेख नगर, पीपाडशहर
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
5. धापू पुत्री उमर खां पत्नी इस्माईल खां सिन्धी मुसलमान
   निवासी सिन्धियों का बास, पीपाडशहर
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू) जोधपुर दिनांक 20 मार्च 2018 राजस्व अपील संख्या 17/2017 नैनी बनाम मुमा आदि

उपस्थित–
श्री आर.पी. चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री ओम प्रकाश डारा, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1
श्री सूर्यप्रकाश पंवार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2 से 5
राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 6

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा अपील संख्या 17/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20 मार्च 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नैनी पुत्री उमर खां (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या एक) ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत की और ग्राम जसपाली स्थित आराजी खसरा संख्या 1746 व 1742 के पूर्व खातेदार उमर खां पुत्र इमूखां के देहान्त के बाद स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2161 दिनांक 28 फरवरी 1992 खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2018 को खारिज कर दी गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से मियाद व अन्य बिन्दुओं बाबत प्रारम्भिक आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हें नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। मियाद का बिन्दु एक कानूनी बिन्दु है जिसका सर्वप्रथम निस्तारण किये बिना मामले के गुणावगुण बाबत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है, मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मुस्लिम विधि के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत के रेस्पो. नैनी को मृतक उमर खां की प्रथम श्रेणी की वारिस मानने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है। जबकि उमर खां की पत्नी मुमा उर्फ मुमल व सुबान खां द्वारा खसरा संख्या 793 की भूमि का बेचान किया, उसमें मुमा उर्फ मुमल ने सुबान खां को गोदपुत्र माना है। उक्त खसरा के केतागण को भी मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि के प्रावधानानुसार वारिसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, सभी वारिसान का अलग–अलग हिस्सा होता है जिसे केवल वाद में ही विनिश्चित किया जा सकता है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूति सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट को कभी भी उमर खां द्वारा गोद नहीं लिया गया और न ही कोई गोदनामा उपलब्ध है। रेस्पो. मृतक उमर खां की जायन्दा पुत्री है और इस कारण वादग्रस्त भूमि में उसके हक–हिस्से को नजरअंदाज करते हुए पारित म्युटेशन खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं की गयी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले में तहसीलदार को मृतक उमर खां पुत्र इमूखां के विधिक उत्तराधिकारियों बाबत समुचित जांच कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मतः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है, जिससे किसी भी पक्षकार के जायज

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हित प्रतिकूलरूपेण प्रभावित नहीं होते है। अतः अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहाँ तक प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत अपील बाबत मियाद का प्रश्न है, उक्त अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत बहस के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विलम्ब कण्डोन करते हुए अपील न्यायहित में अन्दर मियादशुमार कर गुणावगुण बाबत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। आलौच्य मामले में रेस्पो. संख्या एक नैनी द्वारा स्वयं को वादग्रस्त आराजियात के खातेदार उमर खां की जायन्दा पुत्री होना जाहिर किया गया है। इस तथ्य का समुचित ठोस आधार पर कोई खण्डन किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले में तहसीलदार को मृतक उमर खां पुत्र इमूखां के विधिक उत्तराधिकारियों बाबत समुचित जांच कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मतः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर